राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग

क्रमांकः प. 1(9)आयो–1/सां./2011–पार्ट–1 जयपुर, दिनांकः 18 APR 2019

–:आदेश:–

आयोजना विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 16.03.2016 द्वारा राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम, 1958 के नियम–22 के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर चयन उपरांत निम्नांकित सांख्यिकी अधिकारियों को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी के रूप में दो वर्ष की कालावधि के लिये नियत पारिश्रमिक तत्पश्चात् पी.बी.–2(9300–34800) की ग्रेड–पे 4800 (संख्या–14) में अस्थायी तौर पर कार्यग्रहण तिथि से नियुक्त किया गया।

इन परिवीक्षाधीन सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि सन्तोषजनक पूर्ण करने के फलस्वरूप वित्त विभाग की अधिसूचना प. 15(1)वित्त(नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम में उल्लेखित दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 17 के अनुसार सांख्यिकी अधिकारी के पद पर {शेड्यूल–।।(रूल–6) सेक्शन–'A' एवं शेड्यूल–। (पार्ट–बी) नियम–5(VI)एवं (VII) की पे–मेट्रिक्स के अन्तर्गत लेवल–12 (L–12) की न्यूनतम सेल (First Cell)} राशि रूपये 44300/– वेतन निर्धारित किया जाता है।

क्र. स.	मेरिट नं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन विभाग/कार्यालय का नाम	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परिवीक्षाधीन अवधि (दोवर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के वेतन निर्धारण का दिनांक
1.	46	सुश्री दीपिका चतुर्वेदी	राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर	18.03.2016	17.03.2018	18.03.2018
2.	60	श्री अजय शंकर बैरवा	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर	21.03.2016	20.03.2018	21.03.2018

उक्त अधिकारियों की आगामी वेतनवृद्धि की दिनांक 01.07.2018 निर्धारित की जाती है।

आज्ञा से

(अभिमन्यु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

कृ.पृ.उ.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय (सांख्यिकी), राजस्थान।
2. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आयोजना विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज आवश्यक रूप से संबंधित अधिकारी की सेवापुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित करावें।
5. संबंधित अधिकारी।
6. संबंधित अधिकारी की निजी पत्रावली।
7. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

आयोजना विभाग